Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ नागौर में सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादूंकलां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर 30,000/— रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 09 अक्टूबर, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी नागौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **सुखराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना पादूकलां, तहसील रियांबडी, जिला नागौर** को 30,000/— रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी नागौर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा पुलिस थाना पादूकलां में दर्ज प्रकरण में मुल्जिम को गिरफ्तार करने एवं परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 50,000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर दिनांक 08.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी द्वारा 50,000/— रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के ज्यादा जोर देने पर रिश्वत राशि उसकी इच्छानुसार देना तय किया गया ।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेर के **पुलिस अधीक्षक श्रीमान् महावीर सिंह राणावत** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी नागौर से **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कल्पना सोलंकी** के नेतृत्व में आज मय ट्रेप दल के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी सुखराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना पादूंकलां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर को परिवादी से 30,000 रूपये (30,000/— रूपये भारतीय चलन मुद्रा) रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।